बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
!! अधिसूचना !!

पटना–15, दिनांक–24-8-18

सं॰:–21/त॰क॰च॰आ॰-04/2014,सा॰प्र॰ 11299 /बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम-13, 2014) की धारा-14 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन-प्रक्रिया नियमावली, 2018

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ –(1)** यह नियमावली " बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन-प्रक्रिया नियमावली, 2018" कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषा** :– जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

(i) " विभाग" से अभिप्रेत है सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार,

(ii) " संबंधित प्रशासी विभाग" से अभिप्रेत है अधियाचना भेजने वाला और नियुक्ति करने वाला विभाग,

(iii) " आयोग" से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग,

(iv) " अनुसूची"से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 के साथ संलग्न अनुसूची।

(v) "ऑनलाईन आवेदन" से अभिप्रेत है आयोग द्वारा विज्ञापित पदों के विरुद्ध प्राप्त ऑनलाईन आवेदन।

3. (1) आयोग द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 की अनुसूची में उल्लिखित पदों के लिए विज्ञप्ति प्रति वर्ष प्रकाशित की जाएगी।

(2) उक्त अधिनियम, 2014 की अनुसूची में यथा सम्मिलित तकनीकी पदों पर चयन हेतु आयोग द्वारा ऑनलाइन (Online) आवेदन आमंत्रित किया जायेगा।

(3) समान शैक्षणिक अर्हता वाले पदों के लिए आयोग द्वारा समेकित रूप से एक ही Online आवेदन प्राप्त किया जा सकेगा।

4. Online आवेदन हेतु अभ्यर्थियों से निम्नवत् आवेदन-शुल्क लिया जा सकेगा :–

क्रमांक	उम्मीदवारों की कोटि	निर्धारित आवेदन-शुल्क
i	सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग	रू0 200/–
ii	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रू0 50/–
iii	आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रू0 50/–
iv	राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला/पुरूष हों।	रू0 200/–

परन्तु, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उपर्युक्त आवेदन-शुल्क में परिवर्तन किया जा सकेगा।

5. अनुसूची में उल्लिखित पदों में से कतिपय पदों के लिए संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा विशिष्ट अर्हताएँ भी निश्चित की जा सकेंगी। ऐसे मामलों में, विहित विशिष्ट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी ही उक्त विनिर्दिष्ट पदों के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी माने जायेंगे।

6. अधियाचित रिक्तियों के विरूद्ध अभ्यर्थियों का चयन, संबंधित सेवा संवर्ग नियमावली द्वारा यथा-विहित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक एवं कार्य अनुभव हेतु निर्धारित अंकों (यदि संबंधित संवर्ग नियमावली में प्रावधानित हो तो) के आधार पर किया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र/अंक पत्र में प्राप्तांक के स्थान पर ग्रेड (Grade) रहने की स्थिति में, संबंधित नियमावली/संबंधित विभाग द्वारा यथा- निर्धारित फार्मूला के आधार पर ग्रेड (Grade) को अंक में परिवर्तित कर, प्राप्तांक की गणना की जायेगी।

7. कतिपय पदों के लिए संबंधित संवर्ग नियमावली के प्रावधानों के तहत उपर्युक्त कंडिका-6 के अनुसार तैयार मेधा-सूची के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी लिया जा सकेगा।

8. (1) जिन पदों की संवर्ग नियमावली में विहित प्रावधानों के तहत प्राप्तांक एवं कार्य अनुभव के लिए निर्धारित अंक के आधार पर चयन किया जाना है, वैसे मामलों में विज्ञापित रिक्ति के तीन गुणा अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र के सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतु मेधा-सूची तैयार की जायेगी।

परन्तु रिक्तियों की कुल संख्या/कुल संख्या के तीन गुणा से अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने की स्थिति में सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र-सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जायेगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार की जायेगी।

(2) जिन पदों की संवर्ग नियमावली में विहित प्रावधानों के तहत प्राप्तांक, कार्य अनुभव के लिए निर्धारित अंक एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाना है, वैसे मामलों में विज्ञापित रिक्ति के पाँच गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं साक्षात्कार के अंक, शैक्षणिक अर्हता के प्राप्तांक एवं कार्य अनुभव के अंक के कुल योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी एवं तत्पश्चात् रिक्तियों के तीन गुणा अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

परन्तु, रिक्तियों की कुल संख्या/कुल संख्या के पाँच गुणा से अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने की स्थिति में भी सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

(3) पद एवं संवर्ग नियमावली में यथा-विहित प्रावधान के अनुरूप आयोग द्वारा व्यावहारिक जाँच/साक्षात्कार, प्रमाण-पत्रों का सत्यापन एवं स्वास्थ्य जाँच करायी जायेगी एवं उक्त के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी।

9 मेधा सूची तैयार करने के पश्चात आयोग की अनुशंसा, संबंधित विभाग को भेजी जायेगी। संबंधित विभाग द्वारा भी प्रमाण पत्रों की जाँच के पश्चात् अभ्यर्थियों का पूर्व-वृत्त सत्यापित करा लिया जायेगा।

10. एक से अधिक विभागों के लिए समेकित आवेदन देते समय सभी अभ्यर्थियों से आवेदन में विभागों का प्राथमिकता के आधार पर विकल्प देने की अपेक्षा की जायेगी, जिसे अभ्यर्थी द्वारा बाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। प्राप्तांक के आधार पर तथा प्रमाण-पत्रों आदि की जाँच के बाद मेधा एवं विकल्प को ध्यान में रखते हुए चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा आयोग द्वारा की जायेगी।

11. प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गयी मेधा-सूची एवं अभ्यर्थी के द्वारा दिए गये विकल्प के आधार पर आयोग अपने विवेकानुसार विभागवार अनुशंसा करेगा।

12. अधियाचना करने और मेधा-सूची तैयार करने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आरक्षण/रोस्टर संबंधी निर्गत नियमों/अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

13 आयोग द्वारा तैयार किए गये प्राप्तांक सूची/मेधा सूची के सभी सफल अथवा असफल अभ्यर्थी अपना प्राप्तांक जानने के हकदार होंगे।

14. अनुसूची में उल्लिखित पदों से संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में चयन-प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों को उपर्युक्त हद तक संशोधित समझा जायेगा।

15. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014, बिहार तकनीकी सेवा आयोग नियमावली, 2015 एवं इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन रहते हुए चयन के मानक एवं प्रक्रिया नियत करने हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग सक्षम होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
24.8.18
(हिमांशु कुमार राय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–21/ त०क०च०आ०–04/2014,सा०प्र० 11399 /पटना–15, दिनांक– 24-8-18

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, ई-गजट शाखा को (दो प्रतियों) में सी०डी० सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 50 (पचास) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

24.8.18
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–21/ त०क०च०आ०–04/2014,सा०प्र० 11399 /पटना–15, दिनांक– 24-8-18

प्रतिलिपिः–राज्य सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

24.8.18
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–21/ त०क०च०आ०–04/2014,सा०प्र० 11399 /पटना–15, दिनांक– 24-8-18

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.8.18
सरकार के संयुक्त सचिव।